



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 72-2020/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MAY 27, 2020 (JYAISTHA 6, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 मई, 2020

**संख्या 47/जीएसटी-2.-** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।  
(2) इन नियमों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, ये नियम 5 मई, 2020 से लागू हुए समझे जाएंगे।
- हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 26 में, उप-नियम (1) में, परंतुक में,
  - अंत में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
  - निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा तथा 21 अप्रैल, 2020 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:-  
"परंतु यह और कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत, 21 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 तक की अवधि के दौरान, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटीआर-3ख में धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने हेतु अनुमत भी किया जाएगा।"
- उक्त नियमों में, नियम 67 के पश्चात्, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तिथि से, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

**67क. लघु संदेश सेवा सुविधा द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने की रीति** - इस अध्याय में दी गई किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिससे प्ररूप जीएसटीआर-3ख में धारा 39 के अधीन किसी कर अवधि की 'शून्य' विवरणी भरना अपेक्षित हो, इलैक्ट्रॉनिक तरीके से प्रस्तुत किसी भी संदर्भ में रजिस्ट्रीकृत मोबाइल का प्रयोग करके लघु संदेश सेवा के माध्यम से उक्त विवरणी को प्रस्तुत करना शामिल होगा और उक्त विवरणी का सत्यापन रजिस्ट्रीकृत मोबाइल संख्या आधारित वन टाइम पासवर्ड सुविधा के आधार पर किया जाएगा।

**व्याख्या.-** इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'शून्य' विवरणी से अभिप्राय होगा, धारा 39 के अधीन किसी कर अवधि से संबंधित कोई विवरणी जिसमें प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सभी सारणी में शून्य प्रविष्टि या कोई प्रविष्टि ना हो।"

अनुराग रस्तोगी,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

**Notification**

The 27th May, 2020

**No. 47/GST-2.**— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2020.
- (2) Save as otherwise provided, they shall be deemed to have come into force with effect from the 5th May, 2020.
2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter called the said rules), in rule 26, in sub-rule (1), in the proviso,
  - (i) for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted; and
  - (ii) the following proviso shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 21st April, 2020, namely:—

“Provided further that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall, during the period from the 21st day of April, 2020 to the 30th day of June, 2020, also be allowed to furnish the return under section 39 in **FORM GSTR-3B** verified through electronic verification code (EVC).”

3. In the said rules, after rule 67, with effect from a date to be notified later, the following rule shall be inserted, namely:—

**“67A. Manner of furnishing of return by short messaging service facility.**— Notwithstanding anything contained in this Chapter, for a registered person who is required to furnish a Nil return under section 39 in **FORM GSTR-3B** for a tax period, any reference to electronic furnishing shall include furnishing of the said return through a short messaging service using the registered mobile number and the said return shall be verified by a registered mobile number based One Time Password facility.

**Explanation.**— For the purpose of this rule, a Nil return shall mean a return under section 39 for a tax period that has nil or no entry in all the Tables in **FORM GSTR-3B**.”

ANURAG RASTOGI,  
Principal Secretary to Government, Haryana,  
Excise and Taxation Department.